



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937

No. 167]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 2 मार्च, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 218 (अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में स्थापित वित्तीय संस्थाओं हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है ; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :—

- ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ :—

इस विनियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (ए) 'अधिनियम' का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) होगा ;
- (बी) 'वित्तीय संस्था' में निम्नलिखित शामिल होंगे;
 - कोई कंपनी, अथवा
 - कोई फ़र्म, अथवा

- (iii) लोगों का कोई एसोशिएशन (AOP) अथवा व्यक्तियों का कोई निकाय (BOI), चाहे निगमित हो अथवा नहीं, अथवा
- (iv) पूर्वोल्लिखित श्रेणियों में न आने वाला कोई अनैसर्गिक विधिक व्यक्ति (ARJP) जो वित्तीय सेवाएं देने अथवा वित्तीय लेनदेन करने में संलग्न हो।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, और उपर्युक्त सामान्यता को क्षति पहुंचाए बिना, “वित्तीय संस्था” अभिव्यक्ति में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, बीमा कंपनीयां, ब्रोकरेज़ फ़र्म, मर्चेन्ट बैंक, निवेश बैंक, पेंशन फ़ंड, म्यूचुअल फ़ंड, ट्रस्ट, विनिमय गृह, क्लियरिंग हाउस और भारत सरकार अथवा वित्तीय विनियामक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य संस्था शामिल होगी।

- (सी) ‘वित्तीय सेवा’ का अर्थ किसी वित्तीय संस्था द्वारा की जाने वाली उन गतिविधियों से है जो संसद के संबंधित अधिनियम अथवा भारत सरकार अथवा संबंधित वित्तीय संस्था को विनियमित करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा तत् रूप में विनिर्दिष्ट/अनुमत की गई हो।
- (डी) ‘वित्तीय लेनदेन’ का अर्थ किसी व्यक्ति को भुगतान करने अथवा उसके खाते में धन जमा करने, अथवा किसी व्यक्ति के लिए, आदेश द्वारा अथवा की ओर से भुगतान प्राप्त करने, अथवा आहरण करने अथवा किसी विनियम बिल अथवा प्रोमिसरी नोट को जारी करने अथवा परक्रामित करने, अथवा किसी प्रतिभूति को अंतरित करने अथवा किसी ऋण को प्राप्त करने से है।
- (ई) “एफएमसी” का अर्थ वायदा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) के अंतर्गत स्थापित वायदा बाजार आयोग से है।
- (एफ़) ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र’ अथवा आईएफ़एससी का अर्थ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (क्यू) में निहित अर्थ से है।
- (जी) ‘आईआरडीए’ का अर्थ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से है।
- (एच) ‘पीएफ़आरडीए’ का अर्थ पेंशन फ़ंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के अंतर्गत स्थापित पेंशन फ़ंड विनियामक और विकास प्राधिकरण से है।
- (आई) ‘विनियामक प्राधिकरण’ में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीए), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), वायदा बाजार आयोग (एफ़एमसी) अथवा भारतीय कानून के अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था को विनियमित करने के अधिकार प्राप्त प्राधिकृत सांविधिक प्राधिकरण शामिल हैं।
- (जे) ‘सेबी’ का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है।
- (के) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिनका अर्थ इनमें विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, उनका अर्थ वही होगा जो संबंधित अधिनियमों में उन्हे दिया गया है।

3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में स्थापित कोई वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय संस्था की शाखा और भारत सरकार अथवा विनियामक प्राधिकारी द्वारा ऐसी अनुमत/मान्यताप्राप्त संस्था को भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के रूप में माना जाएगा।

4. कोई वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय संस्था की शाखा किसी ऐसी विदेशी मुद्रा में और किसी निवासी अथवा अनिवासी व्यक्ति अथवा अन्य के साथ संबन्धित विनियामक प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारणानुसार कारोबार कर सकती है।

5. उक्त अधिनियम की धारा 1(3) के उपबंधों के अधीन और इस विनियमावली अथवा किसी अन्य विनियमावली अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गए निदेशों में उपबंधित अन्य छूट के सिवाय किसी अन्य विनियमावली में अंतर्विष्ट शर्तें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी ऐसी वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय संस्था की शाखा पर लागू नहीं होंगी।

[सं. फेमा/339/2015-आरबी]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबन्धक

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd March, 2015

Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015

G.S.R. 218(E).—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations relating to financial institutions set up in International Financial Services Centres, namely:-

1. Short title and commencement:-

- i. These regulations may be called the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015.
- ii. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these Regulations unless the context requires otherwise —

- (a) 'Act' shall mean the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (b) 'Financial Institution' shall include
 - (i) a company, or
 - (ii) a firm, or
 - (iii) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, or
 - (iv) any artificial juridical person, not falling within any of the preceding categories engaged in rendering financial services or carrying out financial transactions.

Explanation: For the purpose of this sub-regulation, and without any loss of generality of the above, the expression 'financial institution' shall include banks, non-banking financial companies, insurance companies, brokerage firms, merchant banks, investment banks, pension funds, mutual funds, trusts, exchanges, clearing houses, and any other entity that may be specified by the Government of India or a Financial Regulatory Authority.

- (c) 'Financial service' shall mean activities a financial institution is allowed to carry out as specified in the respective Act of the Parliament or by the Government of India or by any Regulatory Authority empowered to regulate the concerned financial institution.
- (d) 'Financial transaction' shall mean making any payment to, or for the credit of any person, or receiving any payment for, by order or on behalf of any person, or drawing, issuing or negotiating any bill of exchange or promissory note, or transferring any security or acknowledging any debt.

- (e) 'FMC' shall mean the Forward Market Commission established under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).
- (f) 'International Financial Services Centre' or 'IFSC' shall have the same meaning given in Section 2 (q) of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).
- (g) 'IRDA' shall mean mean the Insurance Regulatory and Development Authority established under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
- (h) 'PFRDA' shall mean the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013).
- (i) 'Regulatory Authority' shall include Reserve Bank of India (RBI), Securities Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory Development Authority (IRDA), Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), Forward Market Commission (FMC) or any other statutory authority empowered to regulate a financial institution under the Indian laws.
- (j) 'SEBI' shall mean the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).
- (k) The words and expressions used but not specified in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Any financial institution or branch of a financial institution set up in the IFSC and permitted/recognised as such by the Government of India or a Regulatory Authority shall be treated as a person resident outside India.

4. A financial institution or branch of a financial institution shall conduct such business in such foreign currency and with such persons, whether resident or otherwise, as the concerned Regulatory Authority may determine.

5. Subject to the provisions of Section 1(3) of the Act, and save as otherwise provided in these Regulations or any other Regulations or directed by the Reserve Bank of India from time to time, nothing contained in any other regulations shall apply to a financial institution or branch of a financial institution set up in an IFSC.

[No. FEMA/339/2015-RB]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager